

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र	RAJASTHAN GAZETTE
	विशेषांक	Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
फाल्गुन 15, सोमवार, शाके 1933-मार्च 5, 2012 <i>Phalguna 15, Monday, Saka 1933-March 5, 2012</i>		

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)
सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च, 5, 2012

जी.एस.आर. 181:- राजस्थान के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 को संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये 10-06-011 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. अनुसूची-IX का संशोधन:-विद्यमान अनुसूची-IX की निम्नलिखित प्रविष्टि सं. 1, 2 और 3 में,-

विषय	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक
1. विधि प्रश्न पत्र-I	100	45
प्रश्न पत्र II	100	45
2. भाषा :-	50	18

जिसके अन्तर्गत अनुवाद, सारांश-लेखन, निबंध इत्यादि सम्मिलित हैं।

अनुवाद के अन्तर्गत हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी सम्मिलित है।

3. साक्षात्कार : 30 7.5"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

विषय	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक	अन्य अभ्यर्थियों के लिए
1. विधि प्रश्न पत्र-I	100	40	45
प्रश्न पत्र-II	100	40	45

2. भाषा :- जिसके अन्तर्गत अनुवाद, सारांश-लेखन, निबंध इत्यादि सम्मिलित हैं। अनुवाद के अन्तर्गत हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी सम्मिलित है।	50	18	18
3. साक्षात्कार :	30	7.5	7.5"

[संख्या प.1(3) कार्मिक/क-2/2010]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,
नलिनी कठोटिया,
शासन उप सचिव ।

**DEPARTMENT OF PERSONNEL
NOTIFICATION**

Jaipur, March 5, 2012

G.S.R.181- In exercise of the powers conferred by Article 233 and 234 read with proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling in this behalf, the Governor of Rajasthan in consultation with the Rajasthan Public Service Commission and the High Court of Judicature for Rajasthan hereby amend the Rajasthan Judicial Service Rules, 2010 namely :-

1 Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Rajasthan Judicial Service (Amendment) Rules, 2012.

(2) They Shall be deemed to have come into force w.e.f. 10-06-2011.

2. Amendment of Schedule-IX.- The following entry No.1, 2 & 3 in the existing Schedule IX :-

"Subject	maximum marks	minimum marks
1. Law Paper-I	100	45
Paper-II	100	45
2. Language which includes translation precis, essays etc.	50	18

Translation may include Hindi to English and English to Hindi		
3. Interview	30	7.5"

is substituted by the following :-

"Subject	maximum marks	minimum marks	
		For SC/ST Candidates	For other Candidates
1. Law Paper-I	100	40	45
Paper-II	100	40	45
2. Language which includes translation precis, essays etc. Translation may include Hindi to English and English to Hindi	50	18	18
3. Interview	30	7.5	7.5"

[No.F.1(3)DOP/A-2/2010]

By Order and in the name of the Governor,

नलिनी कठोटिया,

Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.